पोरवाल ऑटो कंपोनेन्ट्स लिमिटेड

रजि. ऑफिस: प्लॉट नं. 209, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर,
जिला धार (म.प्र.) 454775 ई-मेल- admin@porwalauto.com
फोन- 07292-405101, CIN: L34300MP1992PLC006912

26वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोज़र हेतु सूचना

सूचित किया जाता है कि पोरवाल ऑटो कंपोनेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 29 सितंबर, 2018 को दोपहर 01.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 209, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) 454775 पर आयोजित की जाएगी। यह एजीएम सामान्य और विशेष कारोबार के संचालन के लिए होगी।

26वीं वार्षिक बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म व रूट मेप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी और शेयर हस्तांतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत हैं। अन्य सदस्यों को भौतिक प्रतियां अनुज्ञापित ढंग से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गयी है। कंपनी 04 सितंबर, 2018 को शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण पूरा कर लिया है।

26वीं वार्षिक बैठक और वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट admin@porwalauto.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी की ईमेल आईडी: admin@porwalauto.com और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर उसी की एक प्रति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बुक 22 सितंबर, 2018 से, 29 सितंबर, 2018 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, जिन्हे कंपनी अधिनियम (प्रबंधन और प्रशासन) 2014 के नियम 20, में समय-समय पर हुए संशोधन के साथ पढ़ा जाये, को और भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015, के नियम 44 (1) के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा वोटों को कास्ट करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार जानकारी और नियम नीचे दिए गए हैं:

1. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम स्थल पर वोटिंग के लिए सदस्यों की योग्यता निर्धारण करने की अंतिम तिथि : शनिवार 22 सितंबर 2018
2. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 26 सितंबर, 2018, सुबह 9.00 बजे से होगी। ई-वोटिंग के समाप्ति शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018, शाम 5.00 बजे होगी। रिमोट ई-वोटिंग को उस समय और तारीख से परे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है या अंतिम तिथि पर डिपोजिटरीज़ द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में नामांकित है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम स्थल पर होने वाली वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
4. सभी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. चुनाव पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा भी एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम स्थल पर अपना अधिकार इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। यदि किसी सदस्य ने दोनों मतों के माध्यम से अपना वोट डाला तब ई-वोटिंग द्वारा किया जाने वाला मतदान मान्य होगा और मतदान पेपर द्वारा डाला गया वोट अवैध माना जाएगा।
6. कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों को प्राप्त किया है और कंपनी का सदस्य बना है और अंतिम तिथि 22 सितंबर 2018 को शेयरों का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है, वह लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करके mt.helpdesk@linkintime.co.in पर अनुरोध कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
7. हालांकि अगर व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लिए किया जा सकेगा।
8. ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न होने पर सदस्य / लाभकारी मालिक सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेज सकते हैं।
9. 26वीं एजीएम की सूचना सीडीएसएल www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
10. बैठक स्थल पर प्रवेश की अनुमति उपस्थिति स्लीप द्वारा विनियमित की जाएगी, जो सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजी गयी है। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची को पंजीकरण काउंटर पर जमा करायें।
11. इलेक्ट्रॉनिक मतदान से जुडी किसी भी शिकायतों के लिए शेयरधारक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से संपर्क कर सकता है।

सुश्री हंसिका मित्तल
प्लॉट नं. 209, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) 454775
ई-मेल- admin@porwalauto.com
फोन- 07292-405101

सेबी की अधिसूचनाएँ-

20 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी सुरक्षा धारकों के लिए पैन और बैंक खाता विवरण के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना स्वप्रमाणित पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मूल रद्द चेक के साथ लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई 400083 टेली नं. 91 22 49186000 , फैक्स - 91 22 49186060, ईमेल- mt.helpdesk@linkintime.co.in पर जमा करें। मूल रद्द चेक पर सदस्य का नाम होना आवश्यक है।

वैकल्पिक रूप से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक पासबुक/स्टेटमेंट की एक प्रति जमा करें। डीमैट फॉर्म वाले शेयरधारकों से उपरोक्त जानकारी को उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी को जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

8 जून 2018 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 40 में किए गए संशोधन के अनुसार, केवल प्रतिभूतिकृत रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को अनिवार्य करना है। तदनुसार, कंपनी सिक्योरिटीज के हस्तांतरण के अनुरोधों को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि 5 दिसंबर 2018 से सिक्योरिटीज को डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं रखा जाता है।

पोरवाल ऑटो कंपोनेन्ट्स लिमिटेड
हंसिका मित्तल
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : पीथमपुर
दिनांक: 04.09.2018